न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–31 / 2012

उनवान

1. बंशीधर पुत्र छोटुराम
2. छीतरमल पुत्र प्रभात
3. औमप्रकाश पुत्र प्रभात
4. रामपाल पुत्र प्रभात

(1–4) समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. चन्दाराम पुत्र स्व0 पन्ना
2. झूंथी देवी पुत्री स्व0 पन्ना
3. चन्द्र
4. ताराचन्द्र
5. भंवर
6. कृष्ण

(3–6) पुत्रान स्व0 सुवालाल

7. कमली देवी पुत्री स्व0 सुवालाल
8. मुकेश कुमार मंगला
9. रामस्वरुप पुत्र मंगला
10. प्रेम देवी पुत्री मंगला

(1–10) समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

11. बिरदी देवी पुत्री स्व0 पूरा, जाति रैगर, निवासी ग्राम अणतपुरा–चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. लालचन्द पुत्र स्व0 लच्छुराम पौत्र पूरा
13. रामस्वरुप सौंकरिया पुत्र नानगराम
14. मदनलाल पुत्र स्व0 बालूराम

(12–14) जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

15. कृष्णकुमार पुत्र स्व0 बालूराम
16. सुरज्ञानी देवी पुत्री स्व0 बालूराम पत्नि खेमचन्द जाति रैगर, निवासी हांसपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
17. उपपंजियक, चौमूं जिला जयपुर(राज0)।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक :–31.07.2019

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 की शामलाती खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम अणतपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

खाता संख्या 130/116

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में
1	1313	0.22
2	1314	0.01
3	1315	0.47
4	1322	0.57
5	1323	0.01
6	1324	0.02
7	1325	0.51
8	1326	0.30
9	1327	0.44
10	1333	0.37
कुला किता 10 का कुल रकबा 2.92 हैक्टर		

उक्त आराजीयात भूमि खसरा किता 10 का कुल रकबा 2.92 हैक्टर भूमि वाद–पत्र में विवादग्रस्त भूमि है।

भूमि विवादग्रस्त में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा + 1/12 हिस्सा क्रय शुदा एवं वादी संख्या 2 ता 4 का 1/6 हिस्सा + 1/12 हिस्सा क्रय शुदा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 के पिता स्व0 सुवालाल का 1/6 हिस्सा को उन्होने अपने जीवन काल में वादीगण को बेचान कर सम्भला दिया था तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 का 1/30 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 12 का 1/300 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 16 का 1/6 हिस्सा निहित है।

भूमि विवादग्रस्त में प्रतिवादी संख्या 1 चन्दा पुत्र पन्ना व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 के पिता सुवा पुत्र पन्ना ने अपने 1/6 हिस्सा की भूमि को जरिये इकरारनामा दिनांक 17.12.1996 को वादीगण के हक में बेचान कर कब्जा लम्भला दिया था, तब से वादीगण उक्त क्रय शुदा हिस्सा एवं खातेदारी हिस्से सहित पर काबिज काश्त चले आ रहे है व उक्त भूमि का मौके पर बंटवारा अनुसार निरन्तर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं भूमि का लगान सरकारी जमा कर रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का उक्त आराजी में मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, लेकिन मौके पर इनके हिस्से पर वादीगण क्रय दिनांक से काबिज काश्त है। भूमि विवादग्रस्त का अभी तक कानूनी तकासामा नहीं हुआ तथा वादीगण ने प्रतिवादीगण को

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि का तकासमा करवाने के लिए कई बार कहा, लेकिन प्रतिवादीगण काफी समय से आश्वासन देते रहे कि तुम काबिज हो, जब भी चाहोगे, तब ही तकासमा करवा देंगे। वादीगण ने उक्त भूमि का तकासमा करवाने के लिए दिनांक 10.03.2012 को प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने तकासमा करवाने से साफ मना कर दिया, जिस कारण वादीगण को उक्त वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 ने मिलीभगत कर रखी है, जो अब वादीगण को उसके हक हिस्से एवं कब्जे से बेदखल करने व बिना तकासमा के बाहरी अजनबी व्यक्तियों को बेचान हस्तान्तरण कर, बिना तकासमा के ही रिकार्ड में परिवर्तन करवा देना चाहते हैं एवं मौके पर अवैध निर्माण आदि कर कृषि से अकृषि में परिवर्तन कर देना चाहते है। यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे बाहरी व्यक्तियों को बेचान कर देंगे। जिससे वादीगण के हिस्से की भूमि छीन जावेगी। जिसकी पूर्ति रुपयों में किया जाना कतई सम्भव नहीं हो सकेगा।

भूमि विवादग्रस्त रिकार्ड में शामलाती है, मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 मनबट अनुसार काबिज काश्त है, लेकिन प्रतिवादीगण ने मिलीभगत पर रखी है, इस प्रकार वादी पत्र के वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन बखुबी वादीगण के हक में साबित होता है।

वादीगण ने वाद पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र मद नं0 1 में वर्णित भूमि विवादग्रस्त में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 को एवं वादी संख्या 2 ता 4 को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं भूमि विवादग्रस्त का तकामस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादीगण के दर्ज खातेदारी हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 से उनके क्रय शुदा हिस्से सहित का पर्चा लगान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 का पृथक-पृथक कायम किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करे, ना ही रहन गिरवी करें, ना ही बिना तकासमा के निर्माण करे, ना ही फसल आदि का नुकसान करे, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करे, ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें एवं प्रतिवादी संख्या 17 उक्त आराजी का कोई विक्रय पत्र या अन्य विलेख पत्र तसदीक नहीं करे, ना ही अन्य से करवाये व प्रतिवादी संख्या 18 बिना तकासमा हुए बिना किसी प्रकार से रिकार्ड राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं करें, ना ही अन्य से करवायें।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादीगण द्वारा साक्ष्य के शपथ पत्र छीतरमल पुत्र प्रभात पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श 1(प्रमाण प्रति इकरारनामा दिनांक 17.12.1996), प्रदर्श 2(जमाबन्दी संवत् 2066–69) एवं प्रदर्श 3(नक्श ट्रेश) पेश किये है।

वकील वादी ने बहस में मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों को दोहराया जो अपने वाद–पत्र में अंकित किये गये है तथा वाद का डिक्री करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। उक्त वाद में वादीगण द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 17.12.1996 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। उक्त तथाकथित इकारारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय खातेदारी अधिकारों का अनुतोष प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं है व न ही इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–31 / 2012
उनवान– बंशीधर बनाम चन्दाराम
निर्णय दिनांक– 31.07.2019

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–31 / 2012

उनवान

1. बंशीधर पुत्र छोटुराम
2. छीतरमल पुत्र प्रभात
3. औमप्रकाश पुत्र प्रभात
4. रामपाल पुत्र प्रभात

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. चन्दाराम पुत्र स्व0 पन्ना
2. झूंथी देवी पुत्री स्व0 पन्ना
3. चन्द्र
4. ताराचन्द्र
5. भंवर
6. कृष्ण

(3 से 6) पुत्रान स्व0 सुवालाल

7. कमली देवी पुत्री स्व0 सुवालाल
8. मुकेश कुमार मंगला
9. रामस्वरुप पुत्र मंगला
10. प्रेम देवी पुत्री मंगला

(1 से 10) समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

11. बिरदी देवी पुत्री स्व0 पूरा, जाति रैगर, निवासी ग्राम अणतपुरा–चिमनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. लालचन्द पुत्र स्व0 लच्छुराम पौत्र पूरा
13. रामस्वरुप सौंकरिया पुत्र नानगराम
14. मदनलाल पुत्र स्व0 बालूराम
15. कृष्णकुमार पुत्र स्व0 बालूराम

(12 से 15) जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

16. सुरज्ञानी देवी पुत्री स्व0 बालूराम पत्नि खेमचन्द जाति रैगर, निवासी हांसपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
17. उपपंजियक, चौमूं जिला जयपुर(राज0)।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

सहायक कलेक्टर चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0—31 / 2012
उनवान— बंशीधर बनाम चन्दाराम
निर्णय दिनांक— 31.07.2019

इकारारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय खातेदारी अधिकारों का अनुतोष प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं है व न ही इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 31.07.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा..........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.25 13:12:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: